दिनांक 22.05.2021
प्रेस विज्ञप्ति 22/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना छपरौली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.05.2021 को थाना छपरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाछौड़ रोड भट्टे के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अक्षय उर्फ मोन्टू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जनपद बागपत व हरियाणा के थानो पर हत्या, चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना छपरौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–151/2021 धारा 302/504 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अक्षय उर्फ मोन्टू निवासी अहेड़ा थाना व जनपद बागपत।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल ।

<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना पचोखरा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 21.05.2021 को थाना पचोखरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम धर्मपुर असन रोड पचोखरा के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रिसीपाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जनपद फिरोजाबाद, अलीगढ़ व मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मटसेना पर पंजीकृत मु0अ0सं0–34/2021 धारा 223/224 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पचोखरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रिसीपाल निवासी मढैयाा चन्द्रहंस थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद रामपुर/थाना गंज

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.05.2021 को थाना गंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना गंज क्षेत्र से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–शरीफ 2–देवीप्रसाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार दोनो अभियुक्त थाना गंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शरीफ निवासी जगतपुर थाना कोतवाली जनपद रामपुर।

2–देवीदास निवासी जगतपुर का मझरा थाना कोतवाली जनपद रामपुर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना शिकारपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21/22.05.2021 को थाना शिकारपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सईद अहमद उर्फ सईद को गिरफ्तार किया

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिकारपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2021 धारा 302/307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सईद अहमद उर्फ सईद निवासी मो0 अम्बेडकरनगर कस्बा व थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

जनपद अमेठी/थाना अमेठी

- **12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.05.2021 को थाना अमेठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अन्तू बाईपास रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शुभम उर्फ साकाल उर्फ कुलदीप को गिरफ्तार किया

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अमेठी के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अमेठी पर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अमेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शुभम उर्फ साकाल उर्फ कुलदीप निवासी भावलपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना बाजारखाला

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 51 हजार रूपये नगद**
- **बैंक पास बुक व आईडी**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 21.05.2021 को सायं थाना बाजारखाला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अपट्रान तिराहे के पास बंद पड़ी अपट्रान फैक्ट्री से 02 अभियुक्तों 1—मो0 आफाक उर्फ टेंकर उर्फ शारूख 2—रसूल मोहम्मद को गिरफ्तार कर लूट की घटना का

अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 51 हजार रूपये नगद, बैंक पासबुक व आईडी एवं 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.05.2021 को थाना बाजारखाला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बाजारखाला पर मु0अ0सं0–97/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, बैंक पास बुक, आईडी उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बाजारखाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 आफाक उर्फ टेंकर उर्फ शारूख निवासी झोपडपट्टी भदेवा निकट गूलर वाली मस्जिद थाना बाजारखाला, लखनऊ।

2–रसूल मोहम्मद निवासी काशीराम कालोनी निकट मल्हौर क्रासिंग, लखनऊ।

बरामदगी

1–लूट के 51हजार रूपये नगद।

2–बैंक पासबुक व आईडी।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना चिनहट

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 22.05.2021 को थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिकन्दरपुर मोड़ किसान पथ के पास से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–सुरजीत

2—देशराज 3—शशिकान्त उर्फ दिल्ली 4—रामसूरत उर्फ सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुरजीत निवासी पहाड़पुर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

2—देशराज निवासी ग्राम लौलाई थाना चिनहट,लखनऊ।

3—शशिकान्त उर्फ दिल्ली निवासी ए ब्लाक काशीराम कालोनी, लौलाई थाना चिनहट, लखनऊ।

4—रामसूरत उर्फ सूरज निवासी ब्लाक 7 काशीराम कालोनी, लौलाई थाना चिनहट, लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी की 11 दो पहिया वाहन।

जनपद मऊ/थाना सरायलखंसी

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.05.2021 को थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डुमरांव मोड़ के पास से चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1—पिंटू 2—विकास 3—विमलेश कुमार 4—मयंक 5—सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पिंटू निवासी भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ।

2—विकास निवासी मिर्जाजमालपुर नवापुरा थाना घोसी जनपद मऊ।

3—विमलेश कुमार निवासी रजमलपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

4—मयंक निवासी गोविंदपुर टगुनिया थाना घोसी जनपद मऊ।

5—सौरभ कुमार निवासी मिर्जाजमालपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल।

एसटीएफः विभिन्न बैंकों में उपभोक्ताओं के ए0टी0एम0/डेबिट कार्ड में फर्जीवाडा करके धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1957/20 धारा 420/467/468/469/ 470/471 भादवि एवं 66 डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित संगठित गिरोह के 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः 21—05—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को ए0टी0एम0/डेबिट कार्ड से फर्जीवाडा करके विभिन्न बैको से पैसा निकालने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— संजय यादव पुत्र दारा सिंह यादव निवासी एफ—183 गीतांजली विहार गली नम्बर 9 खोड़ा कालोनी हाल पता—आरसी—51 गली नम्बर 9 गीतांजली विहार निकट सुन्दर पानी प्लांट, खोडा कालोनी थाना खोडा, जनपद गाजियाबाद ।

2— हर्ष शर्मा पुत्र मनोज शर्मा निवासी डी—13/1, स्कूल ब्लाक, शाहदरा नियर शिवशंक्ति बिल्डर नार्थ ईस्ट दिल्ली ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण—

1— रू0 10,30,000/— (रू0 दस लाख तीस हजार नगद)
2— 45 चिप, मय स्लिप मय कस्टमर डिटेल।
3— 15 अदद एटीएम कार्ड (विभिन्न बैंको के चिप वाले)
4— 30 अदद एटीएम कार्ड (बिना चिप वाले)
5— 06 अदद एटीएम कार्ड, कस्टमर डिटेल्स के साथ
6— 70 अदद कागज की स्लिप, मय ग्राहक डिटेल
7— 01 अदद हाट ब्लोअर,
8— 01 अदद मल्टी टैस्टर (मीटर)
9— 01 लैपटॉप।
10'— 01 अदद मोबाइल (ओप्पो)
11— 01 अदद एटीएम कार्ड (सिटी बैंक)

12— 01 अदद चिप मय ग्राहक डिटेल
13— 01 अदद लकड़ी की फट्टी (चिप हटाने वाली)
14— 02 अदद कटर लोहे के ब्लेड

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक समयः—

खोडा कालोनी, गीतांजली विहार थाना खोडा जनपद गाजियाबाद क्षेत्र दिनांक/समयः 21—05—2021 समयः 19.30 बजे।

विगत कुछ समय से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को एनसीआर क्षेत्र मे संगठित गिरोह द्वारा विभिन्न बैंकों में हो रही धोखाधडी करने की सूचनाऐ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 के विभिन्न इकाइयों को अभिसूचना संकलन कर वॉछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी, एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था। अभिसूचना संकलन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि जनपद गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर में विभिन्न बैंकों के ए0टी0एम0/डेबिट कार्डो की डिलीवरी के समय फर्जीवाडा करके कूटरचित ए0टी0एम0/डेबिट कार्डो से बड़े पैमाने पर अवैध धनराशि निकाली जा रही है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जनपद गाजियाबाद के थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0सं0 1957/20 धारा 420/467/468/469/470/471 भादवि एवं 66 डी आईटी एक्ट सहित कई अन्य अभियोग विभिन्न थानो पर दर्ज हुए हैं।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ, नोएडा को विश्वसनीय एवं अन्य स्रोतों से दिनांक 21—05—2021 को सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त पैसों के लेन—देन एवं कार्डो के कूटरचना करने के लिए खोड़ा कालोनी के एक मकान में मिलने वाले है। एस0टी0एफ0 नोएडा टीम द्वारा इस सूचना से थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद के उक्त अभियोग के विवेचक को साझा करते हुए तत्परता से कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर घेराबन्दी कर गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से समय लगभग 19.30 बजे उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त संजय यादव (उम्र करीब 22 साल) ने पूछताछ पर बताया कि वह इण्टरमीडिएट पास है। अभियुक्तों से की गई पूछताछ पर ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त संजय यादव लगभग 03 साल से ब्लूडार्ट कम्पनी में कोरियर डिलीवरी करने का काम कर रहा था और कोरियर डिलीवरी करते समय वह 3—4 बार वॉछित अभियुक्त कुलदीप निवासी खोडा कालोनी, जनपद गाजियाबाद के पते पर गया था, उसके पश्चात उसकी (संजय यादव) धीरे—धीरे कुलदीप से गहरी मित्रता हो गयी। कुलदीप ने ही संजय यादव को ए0टी0एम0 कार्ड की चिप निकाल कर ओरिजनल एटीएम कार्ड में फर्जी चिप लगाकर ए0टी0एम0 कार्ड होल्डर के एकांउट्स से ओरिजनल चिप का कूटरचित कार्ड में प्रयोग करके पैसे निकालने की विधि बतायी थी। शुरूआत में कुलदीप, संजय यादव को प्रति कार्ड 5 हजार रूपया देता था और बाद में इस धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि का आधा हिस्सा देने लगा, इन पैसो के बदले **संजय यादव, कुलदीप को ग्राहक को एटीएम कार्ड डिलीवरी करने से पहले कुछ घंटों के लिए एटीएम कार्ड दे देता था तथा ग्राहक के एकाउन्ट में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, जो कि कोरियर में पते के साथ लिखा होता था, वो भी नोट करा देता था, इस रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर को Call spoofing appliction** का **प्रयोग करके बैंक के ऑटोमेटिक कॉल रिस्पोन्स सिस्टम से कार्ड होल्डर के बैंक एकाउन्ट का बैलेन्स जान लेते थे। इस प्रकिया में किसी प्रकार की**

ओटीपी नहीं जनरेट होती है, इसलिए इस गतिविधि का पता वास्तविक ग्राहक को नहीं चल पाता है। इसके अलावा ग्राहक को एटीएम कार्ड डिलीवरी करते समय ग्राहक से संजय यादव जानबूझकर ग्राहक के आधार कार्ड की डिटेल प्राप्त कर लेता था। जिसके उपरान्त कुलदीप के साथ मिलकर संजय यादव ओरिजनल एटीएम कार्ड से चिप बदल लेता था और इस एटीएम कार्ड के लिए आवश्यक पिन कोड प्राप्त करने के लिए बैंक के आई0वी0आर0 (Interactive voice response) सिस्टम में Call spoofing appliction का प्रयोग करके इस ऑटोमेटिक सिस्टम को आवश्यक जानकारी देते हुए, जैसे एटीएम कार्ड का नम्बर, एक्सपाइरी डेट, आधार नम्बर, जन्म तिथि आदि देते हुए एटीएम कार्ड का पिन कोड प्राप्त कर लेता था, इस पूरी प्रकिया में किसी प्रकार का ओटीपी जनरेट नही होता है इसलिए वास्तविक ग्राहक को इस बात का पता नही चल पता है। इसके अलावा बैंको के आईवीआर सिस्टम में आने वाली कॉल VOIP (Voice over internet protocol) है या नार्मल कॉल है यह अन्तर नही कर पाता है। इसके उपरान्त यें लोग कूटरचित एटीएम कार्ड से कुछ समय बाद एटीएम से अवैध धन की निकासी कर लेते थे। जबकि एटीम कार्ड वास्तविक ग्राहक के पास बना रहता था। अभियुक्त संजय यादव इस काम में कुलदीप की जनवरी 2020 से मदद कर रहा है जबकि संजय यादव का दूसरा सहयोगी हर्ष शर्मा, जो ब्लूडार्ट कम्पनी में कोरियर डिलीवरी का काम ढाई साल से कर रहा है, उसे भी इस गैंग में माह दिसम्बर 2020 में शामिल कर लिया था और अवैध पैसो का बटवारा आपस में कर लेते थे। अभियुक्त संजय यादव ने हर्ष शर्मा को इस काम में लगाने के बाद करीब एक माह पूर्व ब्लूडार्ट कंपनी की नौकरी को छोडकर इस अपराध में पूर्णरूप से सम्मिलित हो गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है।

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1.	1957/20	420/467/468/469/470/471 भादवि एवं 66 डी आई0 टी0एक्ट	इन्दिरापुरम	गाजियाबाद
2.	653/20	66 आईटी एक्ट एवं 420 भादवि	सेक्टर– 58	गौतमबुद्धनगर
3.	760/20	66 डी आईटी एक्ट	सेक्टर– 24	गौतमबुद्धनगर
4	87/21	66डी आईटी एक्ट	सेक्टर–58	गौतमबुद्धनगर
5	425/21	66डी आईटी एक्ट	कोतवाली	गाजियाबाद
6	426/21	66डी आईटी एक्ट	कोतवाली	गाजियाबाद
7	357/21	66डी आईटी एक्ट	खोडा	गाजियाबाद
8	356/21	66डी आईटी एक्ट	खोडा	गाजियाबाद
9	948/21	66डी आईटी एक्ट	साहिबाबाद	गाजियाबाद
10	216/21	66डी आईटी एक्ट	सेक्टर–49	गौतमबुद्धनगर
11	87/21	66डी आईटी एक्ट	सेक्टर 58	गौतमबुद्धनगर

इसके अतिरिक्त इस धोखाधडी के सम्बन्ध में कई ई–एफआईआर दर्ज होने की भी जानकारी प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद पर पंजीकृत

मु0अ0सं0 1957/20 धारा 420, 467, 468, 469, 470, 471 भादवि एवं 66 डी आई0टी0 एक्ट के अभियोग में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि यह एक नया अपराध का तरीका है, जिसके सम्बन्ध में समस्त बैंकों को अवगत कराया जा रहा है, ताकि बैंकों द्वारा इस प्रकार के अपराध पर रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

————